

अनुमति वाद संख्या :-33/17-18

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की ग
कार्रवाई के बारे
टिप्पणी, तारीख
सहित

म
और
रोख

8.8.17

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 562(बी०) दिनांक 07.07.2017 के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जांच प्रतिवेदन के अनुसार भूमि विक्री की अनुशंसा की गई है। क्रेता एवं विक्रेता जमीन क्रय एवं विक्रय हेतु सहमत है। भूमि विक्री की अनुमति दी जाती है।

आवेदक/आवेदिका श्री चाम्पाई जामुदा, पिता स्व० मंगला जामुदा, ग्राम-भलियाकुदर, वार्ड नं०-02, थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम, जाति-"हो" ने श्रीमती मालती गागराई, पिता स्व० मंगल सिंह गागराई, ग्राम-कायदा, थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम, जाति "हो" के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकवा (एकड़ में)
वार्ड नं०-06	68	38	16	0.11 ए०

नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम जोगा हो, पिता सुदरा हो तथा चामरा हो, पिता-मारकान्दे हो इत्यादि हैं। पंजी II के पृष्ठ संख्या 25, Volume-II में जोगा हो, पिता सुदरा हो के नाम से लगान कायम है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकवा 0.41.000 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना-चक्रधरपुर के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे ईलाज कराने हेतु विक्री करना चाहते हैं। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री चाम्पाई जामुदा, पिता स्व० मंगला जामुदा, ग्राम-भलियाकुदर, वार्ड नं०-02, थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम को श्रीमती मालती गागराई, पिता स्व० मंगल सिंह गागराई, ग्राम-कायदा, थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम के साथ ग्राम जोगीबेड़ा के खाता सं० 38 खेसरा संख्या 16 का रकवा 0.11 एकड़ भूमि अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

Belee
18-8-17

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

Belee
18-8-17
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर